"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2025—अग्रहायण 21, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 अक्टूबर 2025

क्रमांक ई 1-01/2025/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विनीत नंदनवार, भा.प्र.से. (2013), संचालक, भू-अभिलेख तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, जनशिकायत एवं निवारण विभाग को बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 हेतु केन्द्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर निर्वाचन कार्यावधि तक डॉ. फरिहा आलम, भा.प्र.से. (2016), संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, भू-अभिलेख का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 नवम्बर 2025

क्रमांक 2780/एफ 12/03/2017/13/2.—यत:, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन हेतु सौर ऊर्जा नीति 2017-27 जारी की गई है. विगत कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव, लागत व्यय में कमी तथा बिजली के क्षेत्र में अपरंपरागत स्रोत आधारित बिजली के क्रय की अनिवार्यता हेतु विनियमों में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश की बहुत अधिक संभावनाएं है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हेतु बनाये गये विनियम एवं राज्य की औद्योगिक नीति में सौर ऊर्जा संयंत्रों हेतु निहित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन आदि के प्रावधानों को राज्य की प्रभावशील सौर ऊर्जा नीति में समाहित किया जाना आवश्यक हो गया है. अत: राज्य में सौर विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावी सौर ऊर्जा नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

और यत: सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों के निर्माण में तेजी से तकनीकी उन्नयन होने से सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की लागत दर में लगातार कमी आ रही है. फलत: निजी क्षेत्र में केप्टिव यूज तथा बिजली की मांग एवं अंतर में कमी लाने के लिए पारंपरिक स्रोत आधारित बिजली के उत्पादन के विकल्प के रूप में सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना महत्वपूर्ण हो गई है. अत: लोकहित में राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-27 (यथासंशोधित) में व्यापाक संशोधन किया जाना आवश्यक एवं समीचीन है.

अतएव, राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-27 की कंडिका-15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त नीति की "परिशिष्ट (यथासंशोधित)" में निम्नलिखित और संशोधन करती है, तो तत्काल प्रभावी होगी, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नीति के "परिशिष्ट (यथासंशोधित)" में,—

1. "परिशिष्ट (यथासंशोधित)" की कंडिका-2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"2. प्रचलन की अवधि :—
छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 2017-30 दिनांक 31 मार्च 2030 तक अथवा नई सौर ऊर्जा नीति के जारी होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि तक प्रभावशील रहेगी."

2. "परिशिष्ट (यथासंशोधित)" की कंडिका-8 के सरल क्रमांक (अ) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(अ) छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 2017-30 की प्रभावशील अवधि में स्थापित होने वाले सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों को औद्योगिक नीति में निहित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगी जिसका भुगतान/समायोजन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जावेगी"

3. "परिशिष्ट (यथासंशोधित)" की कंडिका-8 के सरल क्रमांक (द) के पैरा-एक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों विलोपित किया जाए.

4. "परिशिष्ट (यथासंशोधित)" की कंडिका-9 के सरल क्रमांक (ब) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ब) **व्हीलिंग और पारेषण प्रभार :—**
विक्रय हेतु व्हीलिंग और पारेषण प्रभार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार होंगे."

5. "परिशिष्ट (यथासंशोधित)" की कंडिका-9 के सरल क्रमांक (स) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(स) **क्रास सब्सिडी प्रभार :—**
राज्य के भीतर किसी तीसरी पार्टी को बिजली विक्रय पर क्रास सब्सिडी के चार्जेस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अधिसूचित रेग्युलेशन के अंतर्गत देय होगा."

6. "परिशिष्ट (यथासंशोधित)" की कंडिका-9 के सरल क्रमांक (द) iv एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"iv. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बैंकिग के तहत जमा की गई बिजली की यूनिट्स में से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से वापस प्राप्त की गई बिजली की यूनिटों के समायोजन उपरांत अतिशेष बिजली की यूनिटों का निपटारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम के प्रावधान अनुसार किया जा सकेगा."

7. "परिशिष्ट (यथासंशोधित)" की कंडिका-10 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"10. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा :—
विकासकर्ता को आबंटित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से 36 माह की अवधि में पूर्ण करना अपेक्षित है. परियोजना विकासकर्ता द्वारा उक्त अवधि में वृद्धि की मांग किये जाने पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा उपरांत ऊर्जा विभाग द्वारा वृद्धि की जा सकती है."

8. परिशिष्ट (यथासंशोधित) के शीर्षक में शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-27 (यथासंशोधित)" के स्थान पर शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-30" प्रतिस्थापित किया जाए"

9. परिशिष्ट (यथासंशोधित) के प्रस्तावना के (ज) के नीचे पैरा में शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-27 (यथासंशोधित)" के स्थान पर शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-30" प्रतिस्थापित किया जाए.

10. परिशिष्ट (यथासंशोधित) की कंडिका-1 से कंडिका-15 में शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-27 (यथासंशोधित)" के स्थान पर शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-30" प्रतिस्थापित किया जाए.

No. 2780/F-12/03/2017/13/2.—Whereas, the Chhattisgarh Government has issued Solar Energy Policy 2017-27 for harnessing renewable energy in the state of Chhattisgarh. In the last few years, in view of technological changes in the field of solar energy, reduction in cost expenditure and changes in regulations for mandatory purchase of electricity based on non-conventional sources in the field of electricity, there is a lot of scope for investment in this sector in the coming years. It has become necessary to incorporate the regulations made by the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for grid interactive decentralized renewable energy sources and the provisions of industrial investment incentives etc. contained in the industrial policy of the state for solar power plants in an effective solar energy policy of the state. Therefore, the need for an effective solar energy policy is being felt in the state of Chhattisgarh for setting up solar power projects in the state.

And whereas, due to rapid technological advancement in the construction of solar power generation plants, the cost of electricity produced from solar energy is continuously decreasing. As a result, setting up of solar power plants has become important as an alternative to conventional source based power generation to reduce the demand and gap of electricity and captive use in the private sector. Therefore, in the public interest, it is necessary and appropriate to make extensive amendments in the State's Solar Energy Policy 2017-27 (as amended).

Therefore, exercising the powers conferred by clause-15 of the State Solar Energy Policy 2017-27, the State Government, hereby, makes the following further amendments in the 'Annexure (as amended)' of the said policy, which will come into effect immediately, namely:-

Amendment

In the 'Annexure (as amended)' of the said policy, -

1/ For paragraph-2 of 'Annexure (as amended)' and the entries relating thereto, the following shall be substituted:, namely:-

"2. Period of operation:-

"Chhattisgarh State Solar Energy Policy, 2017-30" shall remain effective till 31st March 2030 or till the issuance of new Solar Energy Policy, whichever is earlier."

2/ In place of clause-8 of 'Annexure (as amended)', for serial number (a) and entries relating thereto, the following shall be substituted:, namely:-

"(a) Solar power generation plants to be set up during the effective period of "Chhattisgarh State Solar Energy Policy, 2017-30" shall be eligible for industrial investment incentives as contained in the Industrial Policy, which will be paid/adjusted by the Department of Commerce and Industry."

3/ Paragraph-one and related entries of serial number (d) of clause-8 of ' Annexure (as amended)' shall be deleted.

4/ In place of serial number (b) and entries relating thereto of clause-9 of 'Annexure (as amended)', the following shall be substituted:, namely:-

"(b) Wheeling and transmission charges:-

Wheeling and transmission charges for sale shall be as per the regulations framed by the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission."

5/ In place of serial number (c) and entries relating thereto of clause-9 of 'Annexure (as amended)', the following shall be substituted:, namely:-

"(c) Cross subsidy charges:-

Cross subsidy charges on sale of electricity to any third party within the State shall be payable as per the notified regulations of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission."

6/ In place of serial number (d) iv of clause-9 of 'Annexure (as amended)', the following shall be substituted:, namely:-

"iv. The amount of electricity deposited under banking in each financial year after adjusting the units of electricity received back from Chhattisgarh State Electricity Distribution Company, the remaining units of electricity can be disposed of as per the provisions of the regulation issued by Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission."

7/ In place of clause-10 of 'Annexure (as amended)' and its related entries, the following should be substituted:, namely:-

"10. Time limit for implementation of the project:-

The solar energy power generation projects allotted to the developer are required to be completed in a time-bound manner within a period of 36 months. If the project developer demands an extention in the said period, the same can be extended by the Energy Department after reviewing the progress of the project."

8/ In the title of Annexure (as amended), for the words and figures **"Chhattisgarh State Solar Energy Policy 2017-27 (as amended)"**, the words and figures **"Chhattisgarh State Solar Energy Policy 2017-30"** shall be substituted.

9/ In the paragraph below (j) of the 'Introduction' of the Annexure (as amended), for the words and figures **"Chhattisgarh State Solar Energy Policy 2017-27 (as amended)"**, the words and figures **"Chhattisgarh State Solar Energy Policy 2017-30"** shall be substituted.

10/ In clause-1 to clause-15 of the Annexure (as amended), for the words and figures **"Chhattisgarh State Solar Energy Policy 2017-27 (as amended)"**, the words and figures **"Chhattisgarh State Solar Energy Policy 2017-30"** shall be substituted.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 नवम्बर 2025

क्रमांक 2782/एफ 12/03/2017/13/2.—राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश क्रमांक 2780/एफ 12/03/2017/13/2 दिनांक 4-11-2025 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-27 में संशोधन जारी किया गया है. तदानुसार राज्य सरकार, एतद्द्वारा सौर ऊर्जा नीति, 2017-27 (यथासंशोधित) में उपरोक्त संशोधन को सम्मिलित कर आदेश क्रमांक 1909/एफ 12/03/2017/13/2 दिनांक 09-11-2020 को अधिष्ठित करते हुए संलग्न परिशिष्ट अनुसार "छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-30" जारी करती है.

परिशिष्ट (यथासंशोधित–वर्ष 2025)

छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017–30

प्रस्तावना:–

(अ) पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ रही वैश्विक जागरूकता के परिदृष्य में, कोयला आधारित ऊर्जा के पारंपरिक स्त्रोतों पर राज्य की निर्भरता के कम करना और अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिकाधिक उपयोग आवश्यक हो गया है। अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोत में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण मे सामांजस्य रखते हुए, भविष्य में जीवाश्म आधारित ईंधन (Fossil fuel) के उपयोग पर निर्भरता को सुनियोजित तरीके से समाप्त करने तथा बिजली की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए निर्णायक रणनीतियों (Crucial Strategy) के तहत गैर परंपरागत ऊर्जा के स्त्रोतों के उपयोग बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है।

(ब) सौर ऊर्जा जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्त्रोत है, का वर्तमान में उपलब्ध क्षमता के अनुरूप उपयोग नहीं हो पा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्श 2014 में जवाहर लाल नहेरू राश्ट्रीय सोलर मिशन की घोषणा करते हुए भारत में प्रत्येक वर्ष के औसतन 300 धूप वाले दिनों में प्रतिदन 5.5 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर की औसत दर से सौर विकिरण का उपयोग देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पहल की गई है। उक्त योजना के प्रारंभिक परिणामों के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में देश में सोलर पार्क विकसित कर अल्ट्रमेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट योजना के तहत 20 हजार मेगावाट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई। वर्ष 2017 में उक्त योजना के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट के लक्ष्य को 20 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 40 हजार मेगावाट किया गया।

(स) राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय की उक्त योजना को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है जो भारत सरकार की सोलर पार्क विकसित कर अल्ट्रामेगा पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी यथा सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के सहयोग से राज्य में उपलब्ध सौर विकरण के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रयासरत है।

(द) प्रकृति में सहजता से उपलब्ध सौर प्रकाश का दोहन कर सौर विकिरण आधारित सौर विद्युत क्षमता के विकास तथा पर्यावरण पर बदलाव के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु बड़ी संख्या में अल्ट्रामेगा सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहित करना एक प्रभावी पहल है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के साथ–साथ ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलेगी।

(इ) छत्तीसगढ़ में सौर विकिरण की उच्च तीव्रता उपलब्ध होने से बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत के प्रमुख सौर विद्युत उत्पादन केन्द्र के रूप में राज्य को विकसित करने की असीमित संभावनाएं है। सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु असीमित संभावनाएं तथा राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण सौर उपस्कर उत्पादन का भविष्य भी बहुत उज्जवल है और इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की भी संभावनाएं है। तदानुसार राज्य में सौर

ऊर्जा उत्पादन से संबंधित संयंत्रों के निर्माण इकाईयों की स्थापना के लिए अनुकूल एवं लाभप्रद स्थितियां विद्यमान हैं।

(फ) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन हेतु वर्ष 2012 में जारी नीति की वैधता 31 मार्च 2017 तक थी। विगत कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव, लागत व्यय में कमी तथा बिजली के क्षेत्र में अपरंपरागत स्त्रोत आधारित बिजली के क्रय की अनिवार्यता हेतु विनियमों में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में आगामी 10 वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश की बहुत अधिक संभावनाएं है अतः राज्य में आगामी 5 से 10 वर्षों में सौर विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में भी नई नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

(ह) छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) ने राज्य में मजबूत विद्युत पारेषण प्रणाली विकसित की गई है जिसके अंतर्गत 400 के.व्ही., 220 के.व्ही. तथा 132 के. व्ही. की विद्युत लाइनें राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध है। राज्य में विद्युत पारेषण की भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए पारेषण प्रणाली में पर्याप्त क्षमता उन्नयन हेतु अधोसंरचना के कार्य प्रस्तावित हैं, जिससे दूरस्थ अंचलों में सौर पॉवर प्लांट की स्थापना कर उत्पादित बिजली का पारेषण सहजता से किया जा सकेगा।

(ज) राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत प्रदेश में अल्ट्रासोलर पॉवर प्लांट विकसित कर राज्य में सौर ऊर्जा की उपलब्ध क्षमता को आवश्यकता के अनुरूप विकसित करने के लिए राज्य सरकार एतद्वारा "छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति 2017–2027" जारी की गई है। सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों के निर्माण में तेजी से तकनीकी उन्नयन होने से सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की लागत दर में लगातार कमी आ रही है फलतः निजी क्षेत्र में केप्टिव यूज तथा बिजली की मांग एवं अंतर में कमी लाने के लिए पारंपरिक स्त्रोत आधारित बिजली के उत्पादन के विकल्प के रूप में सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना महत्वपूर्ण हो गई है। अतः राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017–27 में व्यापक संशोधन आवश्यक हैं।

तदनुसार राज्य सरकार एतद्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 2017–30" जारी करती है।

1. उद्देश्यः–

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ "छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 2017–30" लागू करती है :–

(अ) विद्युत की बढती हुई मांग को पूरा करने के प्रयोजन एवं पर्यावरणीय और आर्थिक एवं दूरगामी योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
(ब) सौर विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना ।
(स) राज्य में सौर उत्पादन क्षमताओं के विकास हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित करना ।
(द) कोयले जैसे पारंपरिक तापीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को क्रमशः कम करते हुए राज्य की दीर्घकालीन ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करना।
(इ) प्रदेश के दूरस्थ व पहुंच विहीन क्षेत्रों में निवासरत् ग्रामीणों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय (Stand Alone) आधार पर ग्रिड से पृथक सौर अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना।
(प) सर्व प्रयोजन हेतु स्वच्छ ऊर्जा (clean energy) की पहुंच सुनिश्चित करना।
(फ) राज्य में विकेन्द्रीकृत उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहित करना ।

(क) सौर ऊर्जा उत्पादन, निर्माण और संबंधित सहायक उद्योगों में बडे पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार संभावनाओं का सृजन करना ।
(ख) सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु राज्य में उपलब्ध पड़त/गैर कृषि अनुपयोगी भूमि का प्रभावी उपयोग करना ।
(ग) इस क्षेत्र के लिए कुशल और अर्द्ध कुशल मानव संसाधन का विकास करना।
(घ) सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन से संबंधित अभिनव परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।

2. प्रचलन की अवधिः–

"छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 2017–30" दिनांक 31 मार्च 2030 तक अथवा नई सौर ऊर्जा नीति के जारी होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि तक प्रभावशील रहेगी।

3. परियोजना विकासकर्ता हेतु पात्रताः–

कोई व्यक्ति, पंजीकृत कंपनी, केन्द्रीय और राज्य विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियां और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के सौर विद्युत परियोजना विकासकर्ता (सौर फोटोवोल्टेक /सौर तापीय) और सौर विद्युत परियोजनाओं से संबंधित उपस्करों की निर्माणकर्ता इकाइयां और सहायक उद्योग, समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसरण में सौर विद्युत परियोजनाओं, चाहे वे केप्टिव उपयोग और/अथवा विद्युत के विक्रय के उद्देश्य से हो, को स्थापित करने हेतु पात्र होंगे ।

4. सोलर पॉवर प्लांट को दी जाने वाली सुविधाएंः–

अ) ग्रिड से सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजना की स्थापना स्वयं के उपयोग के लिए अथवा राज्य के बाहर सीधे किसी उपभोक्ता/संस्था/लाइसेंसी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली विक्रय के लिए की जा सकेगी। सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना के विकासकर्ताओं को राज्य में स्वयं के उपयोग अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर बिजली के विक्रय हेतु सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।

ब) ग्रिड से सम्बद्ध सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजना को अक्षय ऊर्जा (सोलर) सर्टिफिकेट (Renewable Energy Certificate-REC) प्रणाली के माध्यम से बिजली क्रय की अनुमतिः–

राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं को सौर विद्युत संयंत्र स्थापित कर उत्पादित बिजली को आरईसी (सोलर) मैकेनिजिम के अंतर्गत अन्यंत्र बेचने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों से उत्पादित बिजली का क्रय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा Renewable Purchase Obligation (अक्षय ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता–आरपीओ) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित रेग्युलेशन के तहत किया जा सकेगा। किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के अनुसार बिजली क्रय हेतु अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

स) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग अथवा उपयुक्त विद्युत नियामक आयोग के अधिसूचित रेग्युलेशन के अंतर्गत राज्य के सौर ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं को आरईसी (सोलर) सर्टिफिकेट विक्रय की अनुमति रहेगी।

द) सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 01 किलोवाट या 01 किलोवाट से अधिक क्षमता के रूफटाप सोलर पॉवर प्लांट को ग्रिड कनेक्टीविटी की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

5. सौर पॉवर प्लांट के प्रकारः–

राज्य में स्थापित होने वाले सौर पॉवर प्लांट को निम्नानुसार 04 संवर्गो में चिन्हित किया जाएगाः–

(अ) संवर्ग–। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली के विक्रय हेतु आमंत्रित प्रतिस्पर्धा आधारित निविदा के अंतर्गत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट।

(ब) संवर्ग–।। राज्य में केप्टिव उपयोग अथवा राज्य के भीतर या राज्य के बाहर उपभोक्ताओं/लाईसेन्सी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने हेतु स्थापित होने वाले पॉवर प्लांट।

(स) संवर्ग – ।।। राज्य में आरईसी– सोलर मैकेनिजिम (Solar Mechanism) के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट ।

(द) संवर्ग–iv जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट।

6. लक्षित क्षमताः–

राज्य शासन में विभिन्न संवर्ग के सोलर पॉवर प्लांट हेतु निम्नानुसार क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना का प्रयास किया जाएगा ।

(अ) संवर्ग–। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली के विक्रय हेतु आमंत्रित प्रतिस्पर्धा आधारित निविदा के अतर्गत सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आरपीओ के तहत बिजली के क्रय हेतु समय–समय पर अधिसूचित रेग्युलेशन के अनुरूप रहेगा।

(ब) संवर्ग – ।। राज्य द्वारा केप्टिव उपयोग अथवा राज्य के भीतर या राज्य के बाहर उपभोक्ताओ/लाइसेन्सी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने हेतु एक ही स्थल पर स्थापित होने वाले पॉवर प्लांट हेतु न्यूनतम क्षमता 500 किलोवाट एवं अधिकतम क्षमता या एमएनआरई द्वारा राष्ट्रीय सोलर नीति, समय–समय पर संशोधित में उल्लेखित अधिकतम क्षमता के अनुरूप रहेगी।

(स) संवर्ग–।।। राज्य द्वारा आरईसी (सोलर) मैकनिजिम के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट हेतु क्षमता की कोई सीमा नहीं रहेगी।

(द) संवर्ग–iv राज्य द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

(इ) राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं इनसे संबंधित विनिर्माण सुविधा के लिए सौर पार्क के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। सौर पार्क में सभी सामान्य सुविधाएं जैसे उपयुक्त भूमि, जल की उपलब्धता एवं आंतरिक पहुंच हेतु सड़क एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी। सौर पार्क में स्थापित सौर ऊर्जा विद्युत

उत्पादन संयंत्रों को ग्रिड से जोडने के लिए विद्युत पारेषण लाइनों की स्थापना राज्य के विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित स्टेट ग्रिड कोड, कनेक्टिविटी तथा ओपन एक्सेस हेतु प्रभावशील रेग्युलेशन के तहत की जा सकेगी।

राज्य में चिन्हित किये गये स्थलों पर विकसित सौर पार्क में निजी निवेशकों द्वारा स्वयं के व्यय पर अथवा निजी–सार्वजनिक भागीदारी (PPP) में लागत मे हिस्सेदारी (Sharing) के आधार पर सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

7. भवनों की छत पर स्थापित होने वाली सौर विद्युत परियोजनाएं:–

भवनों की छत पर सौर विद्युत उत्पादन एक महत्वपूर्ण उदीयमान क्षेत्र है और राज्य सरकार इस निमित्त भारत सरकार के सहयोग से एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ कर सकेगी। नवीन एवं नवीकरणीय स्त्रोत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहन इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना विकासकर्ताओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।

8. छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन:–

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017–30 की प्रभावशील अवधि में स्थापित होने वाले सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों को औद्योगिक नीति में निहित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगी जिसका भुगतान/समायोजन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जावेगी।

(ब) विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट:–

प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा संयंत्र की स्वयं की खपत (ऑग्जलरी खपत) व राज्य के भीतर की गई केप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी। विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट सौर ऊर्जा नीति के परिपेक्ष्य में मार्च 2030 तक स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिये प्रभावशील रहेंगी।

(स) औद्योगिक नीति में प्रावधानित प्रोत्साहन/रियायतों में समय–समय पर किये जाने वाले संशोधन यथा स्वरूप में सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों पर लागू रहेंगें।

(द) यदि संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि आवंटन लैण्ड बैंक के माध्यम से किया गया हो तो उक्त संयंत्र विकासकर्ता को संयंत्र की स्थापना भू–आधिपत्य प्राप्त करने के 01 वर्ष के भीतर किया जाना बंधनकारी होगा, अन्यथा की स्थिति में भू–आवंटन स्वमेश निरस्त समझा जावेगा।

यदि संयंत्र की स्थापना हेतु संयंत्र विकासकर्ता द्वारा निजी भूमि का क्रय नीति में निहित रियायतों का सुविधा प्राप्त कर किया गया हो तो उक्त भू–आधिपत्य प्राप्त करने की तिथि के 01 वर्ष के भीतर संयंत्र की स्थापना हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। उक्त अवधि में संयंत्र स्थापना की कार्यवाही नहीं करने पर भूमि के क्रय हेतु प्राप्त की गई समस्त रियायतों की वापसी निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात 06 माह की समय–सीमा में किया जाना अनिवार्य होगा एवं भूमि का क्रय अनुबंध निरस्त कर उक्त भूमि विक्रेता को निःशर्त वापस किया जाना होगा। 06 माह के पश्चात रियायत की वापसी योग्य राशि भू–राजस्व वसूली अधिनियम के तहत मय ब्याज वसूली योग्य समझी जावेगी।

(इ) छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 2017–30 के अंतर्गत रियायतें प्राप्त कर स्थापित की गई सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों का संचालन संयंत्र के जीवन काल अर्थात: वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 25 वर्ष तक किया जाना आवश्यक होगा। संयंत्र का संचालन निर्धारित अवधि के पूर्व बंद करने की स्थिति में संयंत्र विकासकर्ता द्वारा प्राप्त की गई रियायतों का भुगतान/वापसी राज्य शासन को करना होगा।

9. अतिरिक्त प्रोत्साहन:–

(अ) **तृतीय पक्ष विक्रय हेतु खुली पहुंच (Open Access)**:–

यदि किसी विकासकर्ता को खुली पहुंच की अनुमति प्रदान की जाती है तो वह राज्य के बाहर तृतीय पक्ष को विद्युत के विक्रय हेतु राज्य विद्युत नियामक आयोग या केन्द्रीय नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर Open Access Charges (प्रयोज्य खुली छूट प्रभार) और हानियों का भुगतान ओपन एक्सेस आवेदक द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेन्सी जो भी लागू हो को करेगा।

(ब) **व्हीलिंग और पारेषण प्रभार**:–

विक्रय हेतु व्हीलिंग और पारेषण प्रभार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार होंगे।

(स) **क्रास सब्सिडी प्रभार**:–

राज्य के भीतर किसी तीसरी पार्टी को बिजली विक्रय पर क्रास सब्सिडी के चार्जेस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अधिसूचित रेग्युलेशन के अंतर्गत देय होगा।

(द) **राज्य के सोलर प्लांट्स को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शतप्रतिशत बैंकिंग की सुविधा निम्न शर्तो के अधीन रहेगी:–**

i. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बैंकिंग के तहत जमा बिजली की यूनिटों का सत्यापन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

ii. बैंकिंग के तहत जमा की गई बिजली की यूनिटों की वापसी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समय–समय पर इस हेतु अधिसूचित विनियम के अधीन प्रशासित रहेगी।

iii. प्रत्येक वर्ष के अलग–अलग माह हेतु "Peak" एवं "Off peak" अवधि में बैंकिंग चार्जेस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार होंगे।

iv. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बैंकिंग के तहत जमा की गई बिजली की यूनिट्स में से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से वापस प्राप्त की गई बिजली की यूनिटों के समायोजन उपरांत अतिशेष बिजली की यूनिटों का निपटारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम के प्रावधान अनुसार किया जा सकेगा।

v. ऐसे औद्योगिक संस्थान जो राज्य की सोलर नीति के अंतर्गत संवर्ग–ii अथवा iii में वर्गीकृत है को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से अनुबंधित मांग पर विद्युत क्रय कर रहा है, इनकी एनर्जी एकाउंटी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक

आयोग द्वारा अधिसूचित रेगुलेशन यथा **Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Intra State availability based tariff and ceviation settlement mechanisum) Regulation, 2016** अथवा इस हेतु समय–समय पर अधिसूचित रेग्युलेशन के अधीन प्रशासित रहेगा।

vi. राज्य के नीति के अंतर्गत स्थापित सोलर पॉवर प्लांट्स को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत जारी आदेश/निर्देश एवं छ0रा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी रेग्युलेशन की शर्तो के अधीन राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर बिजली के विक्रय की अनुमति रहेगी।

(इ) **अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (REC)**:–

ऊपर कंडिका 4 (अ) व 4 (ब) के अंतर्गत स्थापित प्रत्येक परियोजना को अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (REC) लाभ प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। ऐसे सौर विद्युत उत्पादक को स्वयं के एकमेव (Dedicated) ग्रिड में स्वयं के उपयोग हेतु डाली गई (Inject) विद्युत पर राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत आरईसी के लाभ की पात्रता रहेगी।

(फ) **ग्रिड संयोजकता और उसमें विद्युत संयोजन की सुविधा:–**

सौर विद्युत संयंत्र से उत्पादित विद्युत को ग्रिड संहिता की शर्तो के अधीन निकटतम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण/वितरण लाइसेंसी के सब स्टेशन में इंजेक्ट करने की सुविधा रहेगी। विद्युत के पारेषण हेतु सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र के स्वीच यार्ड से ग्रिड उपकेन्द्र (सब स्टेशन) जो कि अंतर संयोजन बिन्दु (इंटर कनेक्शन पाईंट) है, तक विद्युत लाइन की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य की पारेषण कंपनी या वितरण कंपनी द्वारा परियोजना विकासकर्ता के व्यय पर की जायेगी।

यदि परियोजना विकासकर्ता स्वयं के व्यय पर विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को नियमानुसार देय परिवेक्षण शुल्क का भुगतान कर, राज्य की ट्रांसमिशन/वितरण कंपनी के पर्यवेक्षण में अथवा बिना पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान करने पर स्वयं के पर्यवेक्षण में लाइन की स्थापना का विकल्प होगा। लेकिन परियोजना विकासकर्ता को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु राज्य की पारेषण/वितरण प्रणाली में तकनीकी क्षमता की उपलब्धता की पुष्टि प्राप्त कर स्वयं के व्यय पर लाइन निर्माण की अनुमति रहेगी। इस हेतु राज्य की पारेषण/वितरण कंपनी द्वारा यथास्थिति विद्युत पारेषण/वितरण प्रणाली में तकनीकी क्षमता की उपलब्धता की पुष्टि, आवेदन प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस में किया जाएगा।

(ग) **ग्रिड संयोजित परियोजना के लिये भूमि**:–

सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता राज्य की औद्योगिक नीति में अधोसंरचना विकास एवं औद्योगिक भूमि प्रबंधन के प्रावधान अनुसार की जावेगी। केप्टिव सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि राज्य की औद्योगिक नीति के अंतर्गत चिन्हित भूमि बैंक के आवंटन के समय प्राथमिकता दी जावेगी।

शासन द्वारा निजी भूमि अधिग्रहित कर उपलब्ध कराने की दशा में इससे संबंधित राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति लागू होगी। सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु वैधानिक स्वीकृतियों/अनुमतियों को प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर होगा।

(झ) **अक्षय ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता (RPO)**:–

विद्युत वितरण कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक खुली निविदा से निर्धारित विद्युत दरों के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता (RPO) हेतु विद्युत का क्रय करेगी। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सुविधा अनुसार अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (REC) प्रणाली के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा समय–समय पर स्वीकृत विद्युत की संयुक्त (पूल्ड) लागत दरों पर ऐसा क्रय किया जा सकेगा।"

10. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समय सीमाः–

विकासकर्ता को आबंटित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से 36 माह की अवधि में पूर्ण करना अपेक्षित है। परियोजना विकासकर्ता द्वारा उक्त अवधि में वृद्धि की मांग किये जाने पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा उपरांत ऊर्जा विभाग द्वारा वृद्धि की जा सकती है।

11. जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंधः –

सौर विद्युत संयंत्र में किसी भी तरह के जीवाश्म आधारित ईंधन कोयला, गैस, लिगनाईट, नेपथा, लकड़ी आदि का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। यदि सोलर थर्मल संयंत्र किसी इकाई के परिसर में स्थापित होता है तो इसे पूर्व से स्थापित जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्र से भौतिक रूप से पृथक परिसर में रखना होगा।

12. नोडल एजेन्सी (संपर्क अभिकरण) की भूमिकाः–

नोडल एजेन्सी (संपर्क अभिकरण), परियोजना विकासकर्ताओं को सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगा और इस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करेगाः–

(क) राज्य में सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु निविदाओं के आमंत्रण की प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्य जिसमें शासन के विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध भूमि के चिन्हांकन तथा चिन्हित भूमि के आवंटन में सहायता करना तथा राज्य स्तर पर आवश्यक अनुमति/ स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु नोडल एजेन्सी (संपर्क अभिकरण) के रूप में कार्य करना।
(ख) स्थल का चिन्हांकन एवं भूमि बैंक का गठन ।
(ग) राज्य शासन अथवा उसकी एजेंसियों के पास उपलब्ध भूमि/स्थान के आवंटन में सहायता ।
(घ) मार्ग अधिकार (राईट आफ वे), जल आपूर्ति एवं सड़क तक पहुंच आदि में सहायता
(ङ) प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से समुचित मानव संसाधन का विकास।

13. एकल खिड़की स्वीकृति प्रणालीः–

निम्नलिखित गतिविधियों के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली के तौर पर सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिये छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगाः–

अ) यह सुनिश्चित करना कि इस नीति के अनुरूप संबंधित विभागों द्वारा समस्त शासकीय आदेश समय रहते जारी हो जायें ।
ब) राज्य सरकार और उसके अभिकरणों से वांछित समस्त अनापत्तियां, अनुमतियां, अनुमोदन और सहमतियां जारी कराना ।
स) यह सुनिश्चित करना कि राज्य की नीतियों के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को उपलब्ध समस्त रियायतें सौर विद्युत उत्पादकों हेतु प्रयोज्य की जायें ।
द) आने वाले सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों हेतु निष्क्रमण (इवेक्युवेशन) अधोसंरचना के विकास को समय रहते सुनिश्चित करना ।
इ) ग्रिड की अंतः क्रियाशील प्रणालियों के संधारण को बढ़ावा देना जिससे संयंत्र क्षमता का पूरा–पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
प) राज्य सरकार और इसके अभिकरणों द्वारा भूमि के आबंटन को सुगम बनाना।
फ) लंबित अनापत्तियों की समीक्षा समय–समय पर सशक्त समिति द्वारा की जायेगी।

14. सशक्त समितिः–

इस नीति के परिणामस्वरूप उद्भूत होने वाले विभिन्न मुद्दों पर नजर रखने, निगरानी करने और उनका समाधान करने हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति गठित की जायेगी। समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार है–

1. वित्त विभाग के भारसाधक सचिव
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के भारसाधक सचिव
3. राजस्व विभाग के भारसाधक सचिव
4. ऊर्जा विभाग के भारसाधक सचिव
5. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
6. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
7. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
8. सी०ई०ओ० छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)– सदस्य सचिव

सशक्त समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी। समिति निम्नलिखित विषयों पर विचार–विमर्श करेगी और निर्णय लेगीः–

1. एकल खिड़की प्रणाली की निगरानी (मॉनिटरिंग)
2. समय–समय पर उत्पन्न हो सकने वाले अंतर्विभागीय मुद्दों का समाधान
3. सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन में कठिनाईयों को दूर करना।
4. अन्य कोई सुसंगत विषय

15. सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करनाः–

"छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 2017–30" के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के समाधान अथवा राष्ट्रीय टैरिफ नीति, राष्ट्रीय सोलर मिशन के प्रावधानों को लागू करने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश पृथक से जारी कर सकेगा, जो राज्य की नीति का भाग होगा।

"छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 2017–30" हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद में जारी की जा रही है। किसी स्पष्टीकरण हेतु हिन्दी में जारी नीति मान्य होगी।

No. 2782/F-12/03/2017/13/2.—State Government vide order number 2780/F 12/03/2017/13/2 dated 04-11-2025 has issued amendments in Chhattisgarh State Solar Energy Policy 2017-27, Accordingly, the State Government, hereby supersedes the order number 1909/F 12/03/2017/13/2 dated 09-11-2020 and issues the following "Chhattisgarh State Solar Energy Policy 2017-30" by incorporating the above amendment in the Chhattisgarh State Solar Energy Policy, 2017-27 (as amended).

Annexure (as amended - year 2025)

Chhattisgarh State Solar Energy Policy 2017-30

Introduction:-

(a) In the context of increasing global awareness towards environmental conservation and climate change, it has become necessary to reduce the state's dependence on conventional sources of coal-based energy and to make maximum use of non-conventional energy sources. Solar energy occupies an important place among non-conventional energy sources. Keeping a balance between energy security and environmental conservation, it has become necessary to promote the use of non-conventional energy sources under decisive strategies to eliminate dependence on fossil-based fuels in a planned manner in the future and to bridge the gap between electricity demond and supply.

(b) Solar energy, which is an important source of energy, is not being used to its current capacity. The Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, announced the Jawaharlal Nehru National Solar Mission in 2014 and took the initiative to meet the country's energy needs by using solar radiation at an average rate of 5.5 kilowatts per square meter per day on an average of 300 sunny days in India every year. On the basis of the initial results of the said scheme, the Government of India implemented a scheme in 2014 to provide financial assistance for setting up a solar power plant of 20 thousand MW capacity by developing solar parks in the country under the Ultramega Solar Power Project Scheme. In the year 2017, the target of solar power plants to be set up under the said scheme was increased from 20 thousand MW to 40 thousand MW.

(c) For implementing the aforesaid scheme of Ministry of New and Renewable Energy Sources in the State, Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency has been appointed as the nodal agency which is making efforts for maximum use of solar radiation available in the State with the cooperation of Solar Energy Corporation of India Limited, the authorized agency of Government of India, for developing solar parks and setting up ultra mega power plants.

(d) Promoting the setting up of a large number of ultra mega solar power plants to develop solar power capacity based on solar radiation by harnessing the solar light readily available in nature and to control the impact of change on environment is an effective initiative which will help in reducing carbon emissions as well as address the challenges of energy security.

(e) Due to the availability of high intensity of solar radiation in Chhattisgarh, there is unlimited possibility of developing the state as India's major solar power production centre in terms of large scale solar energy production. Due to unlimited possibilities for solar energy production and the geographical location of the state, the future of solar equipment production is also very bright and there is also possibility of continuous growth in this sector. Accordingly, favorable and beneficial conditions exist in the state for setting up manufacturing units of plants related to solar energy production.

(f) The validity of the policy issued by the Chhattisgarh Government in 2012 for harnessing renewable energy in Chhattisgarh was till 31 March 2017. In the last few years, in view of technological changes in the field of solar energy, reduction in cost expenditure and changes in regulations for mandatory purchase of electricity based on non-conventional sources in the power sector, there is a huge possibility of investment in this sector in the

next 10 years. Therefore, the need for a new policy is also being felt in Chhattisgarh State for setting up solar power projects in the next 5 to 10 years.

(h) Chhattisgarh State Electricity Transmission Company Limited has developed a strong electricity transmission system in the state under which 400 kV, 220 kV and 132 kV electricity lines are available in every region of the state. Keeping in mind the future demand for electricity transmission in the state, infrastructure work is proposed for adequate capacity upgrade in the transmission system, so that electricity generated by setting up solar power plants in remote areas can be transmitted easily.

(j) Under the National Solar Mission, the State Government has issued "Chhattisgarh Solar Energy Policy 2017-2027" to develop the available capacity of solar energy in the state as per the requirement by developing ultrasolar power plants in the state. Due to rapid technological upgradation in the construction of solar power generation plants, the cost rate of electricity produced from solar energy is continuously decreasing. As a result, to reduce the demand and gap of electricity and captive use in the private sector, setting up of solar power plants has become important as an alternative to the production of electricity based on traditional sources. Therefore, extensive amendments are necessary in the State's Solar Energy Policy 2017-27.

Accordingly, the State Government hereby issues "Chhattisgarh State Solar Energy Policy, 2017-30".

1. Objective:-

The State Government implements "Chhattisgarh State Solar Energy Policy, 2017-30" with the following objectives:-

(a) To promote solar energy based power generation for the purpose of meeting the increasing demand of electricity and for environmental and economic benefits in the long term.

(b) To promote private sector participation in solar power generation.

(c) To create a favourable environment for development of solar generation capacities in the State.

(d) To meet the long-term energy needs of the State and contribute to energy security by gradually reducing dependence on conventional thermal energy sources such as coal.

(e) To promote off-grid solar applications on Stand Alone basis to meet the energy needs of villagers residing in remote and inaccessible areas of the State.

(f) Ensuring access to clean energy for all purposes.

(g) Encouraging decentralized production and distribution in the state.

(h) Creating large scale direct and indirect employment opportunities in solar energy production, manufacturing and related ancillary industries.

(i) Effectively utilizing the fallow/non-agricultural unused land available in the state for solar energy production.

(j) Developing skilled and semi-skilled human resources for this sector.

(k) Encouraging innovative projects related to solar energy power generation.

2. Period of operation:-

"Chhattisgarh State Solar Energy Policy, 2017-30" shall remain effective till 31st March 2030 or till the issuance of new Solar Energy Policy, whichever is earlier.

3. Eligibility for Project Developer:-

Any person, registered company, Central and State power generation and distribution companies and public/private sector solar power project developers (solar photovoltaic / solar thermal) and manufacturing units of equipment related to solar power projects and ancillary industries shall be eligible to set up solar power projects, whether for captive use and/or for sale of power, as per the Electricity Act 2003, as amended from time to time.

4. Facilities provided to solar power plant:-

a) Grid connected solar power project can be set up for self use or for selling electricity directly to any consumer/institution/licensee outside the state under open access. Developers of solar power power projects will be encouraged to set up solar power plants for their own use in the state or for selling electricity outside Chhattisgarh state.

b) Permission for purchase of power through Renewable Energy (Solar) Certificate system for grid connected solar energy power generation projects:-

The state government will encourage solar energy producers to set up solar power plants and sell the electricity produced elsewhere under the REC (solar) mechanism. Electricity produced from solar power generation plants can be purchased by Chhattisgarh State Electricity Distribution Company Limited (Renewable Energy Purchase Commitment-RPO) under the regulations notified from time to time by Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission. But the final decision for purchasing electricity will be taken by Chhattisgarh State Electricity Distribution Company as per the demand and supply situation of electricity.

c) Solar energy producers of the State will be permitted to sell REC (Solar) certificates under the notified regulations of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission or the appropriate Electricity Regulatory Commission.

d) Under the Solar Energy Policy, grid connectivity facility will be provided to rooftop solar power plants having capacity of 01 kW or more.

5. Types of solar power plants-

The solar power plants to be set up in the state will be identified in 04 categories as follows:-

(a) Category-I Solar power plants to be set up under the competitive bidding tender invited by Chhattisgarh State Power Distribution Company for sale of electricity.

(b) Category-II Power plants to be set up for captive use in the State or for selling electricity under open access to consumers/licensees within or outside the State.

(c) Category - III Solar power plants to be set up under REC-Solar Mechanism in the State.

(d) Category-IV Solar power plants to be set up under Jawaharlal Nehru National Solar Mission.

6. Target Capacity:-

Efforts will be made by the State Government to establish solar power plants of the following capacity for various categories of solar power plants.

(a) Category-I The target of setting up solar power plant under the competitive bidding tender invited by Chhattisgarh State Power Distribution Company for sale of electricity shall be in accordance with the regulations notified from time to time by Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for purchase of electricity under RPO.

(b) Category – II For power plants to be set up at a single location by the State for captive use or for sale of power under open access to consumers/licensees within or outside the State, the minimum capacity shall be 500 kW and maximum capacity as per the maximum capacity mentioned in National Solar Policy by MNRE, as amended from time to time.

(c) Category-III There will be no capacity limit for solar power plants to be set up by the State under REC (Solar) Mechanism.

(d) Category-IV Solar power plants to be set up by the State under Jawaharlal Nehru National Solar Mission will also be encouraged.

(e) The State Government will encourage the development of solar parks for solar power generation plants and their related manufacturing facilities. All the common facilities such as suitable land, availability of water and roads and other infrastructure for internal access will be developed in the solar park. The installation of electric transmission lines to connect the solar power generation plants installed in the solar park to the grid can be done under the State Grid Code, effective regulations for connectivity and open access notified from time to time by the State Electricity Regulatory Commission.

Setting up of solar power plants by private investors at their own expense or on cost sharing basis in solar parks developed at identified sites in the State will be encouraged.

7. Solar power projects to be installed on the rooftops of buildings:-

Solar power generation on rooftops of buildings is an important emerging area and the State Government may start a pilot project for this purpose with the support of the Government of India. Incentives provided by the Ministry of New and Renewable Sources, Government of India will be made available to the project developers under this scheme.

8. Incentives under the industrial policy of Chhattisgarh:-

(a) Solar power generation plants set up during the effective period of "Chhattisgarh State Solar Energy Policy, 2017-30" will be eligible for industrial investment incentives as contained in the Industrial Policy, which will be paid/adjusted by the Department of Commerce and Industry.

(b) **Exemption from payment of electricity duty:-**

Every Solar Power Project will be exempted from paying electricity duty on the plant's own consumption (auxiliary consumption) and captive consumption within the state. Exemption from payment of electricity duty will be effective for projects to be set up till March 2030 in the context of the Solar Energy Policy.

(c) The incentives/concessions provided in the Industrial Policy as amended from time to time will remain applicable to solar power generation plants to be set up under the Solar Energy Policy.

(d) If the land for setting up a plant has been allotted through Land Bank, then it shall be binding on the plant developer to set up the plant within one year of getting possession of the land, otherwise the land allotment shall be deemed to be automatically cancelled.

If private land has been purchased by the plant developer for setting up the plant by availing the facility of concessions contained in the policy, then action for setting up the plant should be taken within one year from the date of obtaining possession of the said land. In case action for setting up the plant is not taken within the said period, then all concessions received for purchase of land should be refunded within six months after the expiry of the stipulated period and the land purchase contract will have to be cancelled and returned unconditionally to the land seller. The refundable amount of concession after six months shall be considered recoverable along with interest under the Land Revenue Recovery Act.

(e) Solar power generation plants installed by obtaining concessions under "Chhattisgarh State Solar Energy Policy, 2017-30" will be required to be operated for the life span of the plant i.e. 25 years from the date of commercial production. In case of closing the operation of the plant before the stipulated period, the state government will have to pay/return the concessions received by the plant developer.

9. Additional incentives:-

(a) Open access for third party sales -

If a developer is granted open access permission, he shall pay open access charges and losses as prescribed by the State Electricity Regulatory Commission or Central Regulatory Commission from time to time to the electricity transmission/distribution licensee, as applicable, for sale of electricity to third parties outside the State by the open access applicant.

(b) Wheeling and Transmission Charges:-

Wheeling and transmission charges for sale will be as per the regulations framed by the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission.

(c) Cross Subsidy Charges:-

Cross subsidy charges on sale of electricity to any third party within the State shall be payable as per the notified regulations of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission.

(d) 100% banking facility will be provided to the solar plants of the State in every financial year, subject to the following conditions:-

i. Verification of units of electricity deposited under banking in every financial year will be done by the competent authority of Chhattisgarh State Power Distribution Company.

ii. Refund of units of electricity deposited under banking shall be governed by the Chhattisgarh State Power Distribution Company under the regulations notified in this regard from time to time.

iii. Banking charges for "Peak" and "off Peak" in different months of each year shall be as per the regulations notified by Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission.

iv. The amount of electricity deposited under banking in each financial year after adjusting the units of electricity received back from Chhattisgarh State Electricity Distribution Company, the remaining units of electricity can be disposed of as per the provisions of the regulation issued by Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission.

v. Industrial establishments which are classified in Category-ii or iii under the State Solar Policy and are purchasing electricity on contracted demand from Chhattisgarh State Power Distribution Company, their energy accounting shall be governed by the Regulations notified by Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission as Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Intra State availability based tariff and ceviation settlement mechanisum) Regulation, 2016 or the Regulations notified from time to time in this regard.

vi. Solar power plants established under the State policy shall be permitted to sell electricity within or outside the State, subject to the terms and conditions of the orders/directives issued under the Electricity Act 2003 and regulations issued from time to time by CG Electricity Regulatory Commission.

(e) Renewable Energy Certificate -

Every project established under above clause 4 (a) and 4 (b) will be eligible to get the benefit of Renewable Energy Certificate. Such solar power producer will be eligible for the benefit of REC on the electricity fed into its own grid for its own use as per the guidelines issued by the State Electricity Regulatory Commission.

(f) Grid connectivity and facility of electric connection therein:-

There will be a facility to inject the electricity produced from the solar power plant into the substation of the nearest Chhattisgarh State Electricity Transmission/Distribution Licensee under the conditions of the Grid Code. For transmission of electricity, the power line from the switch yard of the solar power generation plant to the grid substation (substation) which is the interconnection point will be established by the Transmission Company or Distribution Company of Chhattisgarh State at the expense of the project developer.

If the project developer wants to establish the power transmission line at his own expense, then in such a situation he will have the option of establishing the line under the supervision of the state's transmission/distribution company by paying the supervision fee payable as per rules to Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited or under his own supervision by paying no supervision fee. But the project developer will be allowed to construct the line at his own expense after obtaining confirmation of the availability of technical capacity in the state's transmission/distribution system for the transmission of electricity generated by Chhattisgarh State Power Transmission/Distribution Company. For this, the state's transmission/distribution company will confirm the availability of technical capacity in the power transmission/distribution system within 30 working days of receiving the application.

(g) Land for grid connected project:-

Availability of land for setting up solar power generation plants will be made as per the provisions of infrastructure development and industrial land management in the state's

industrial policy. Land for setting up captive solar power generation plants will be given priority at the time of allocation of land bank identified under the state's industrial policy.

In case the government acquires and makes available private land, the state's model rehabilitation policy will be applicable. The project developer will be responsible for obtaining statutory approvals/permissions for setting up a solar power generation plant.

(h) Renewable Energy Purchase Obligation (RPO):-

The electricity distribution company will purchase electricity for renewable energy purchase commitment as per the electricity rates determined through competitive open tender. Such purchase can be done at the pooled cost rates of electricity approved from time to time by the appropriate commission under the Renewable Energy Certificate System as per convenience by the electricity distribution company.

10. Time limit for implementation of the project:-

The solar energy power generation projects allotted to the developer are required to be completed in a time-bound manner within a period of 36 months. If the project developer seeks an extension in the said period, the same can be extended by the Energy Department after reviewing the progress of the project.

11. Restrictions on the use of fossil fuels: -

The use of any fossil-based fuel such as coal, gas, lignite, naphtha, wood etc. in a solar power plant will be prohibited. If a solar thermal plant is installed in the premises of a unit, it must be kept in a physically separate premises from the already installed fossil fuel-based power plant.

12. Role of nodal agency (liaison agency):-

The Nodal Agency will provide assistance and guidance to the project developers and undertake the following activities to achieve the objectives of this policy:-

(a) All work related to the process of inviting tenders for setting up of solar power plants in the State including identification of land available with various Government departments and assisting in allotment of identified land and acting as nodal agency for obtaining necessary permissions/approvals at the State level.

(b) Identification of site and formation of land bank.

(c) Assistance in allotment of land/space available with the State Government or its agencies.

(d) Assistance in right of way, water supply and access to roads etc.

(e) Development of adequate human resources with the help of training and educational institutions.

13. Single Window Clearance System:-

Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA) will act as the nodal agency for approval of solar energy power generation projects as a single window approval system for the following activities:-

a) To ensure that all Government orders are issued by the concerned departments in accordance with this policy in timely manner.

b) To issue all the required clearances, permissions, approvals and consents from the State Government and its agencies.
c) To ensure that all the concessions available to industrial units under the State policies are made applicable to solar power producers.
d) To ensure timely development of evacuation infrastructure for upcoming solar power generation plants.
e) To promote maintenance of grid interoperable systems so that full utilization of plant capacity can be ensured.
f) To facilitate allotment of land by the State Government and its agencies.
g) Pending clearances will be reviewed from time to time by the Empowered Committee.

14. Empowered Committee:-

A Empowered committee will be formed under the chairmanship of the Chief Secretary of the state to monitor, supervise and resolve various issues arising as a result of this policy. Other members of the committee are as follows-

1. Secretary-in-charge of Finance Department
2. Secretary-in-charge of Commerce and Industry Department
3. Secretary-in-charge of Revenue Department
4. Secretary-in-charge of Energy Department
5. Managing Director, Chhattisgarh State Power Generation Company Limited
6. Managing Director, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited
7. Managing Director, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited
8. CEO Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA)- Member Secretary

Meetings of the empowered committee will be held as per the need. The committee will discuss and take decisions on the following subjects:-

1. Monitoring of Single Window System
2. Resolving inter-departmental issues that may arise from time to time
3. Removing difficulties in implementation of Solar Energy Policy.
4. Any other relevant matter

15. Removing the difficulties in implementing the solar energy policy:-

To resolve difficulties arising in the implementation of "Chhattisgarh State Solar Energy Policy, 2017-30" or to implement the provisions of National Tariff Policy, National Solar Mission, the Energy Department may issue necessary guidelines separately from time to time, which will be a part of the State Policy.

"Chhattisgarh State Solar Energy Policy, 2017-30" is being issued in Hindi and English version. In case of any clarification, Policy in Hindi version will be preferred.